भारत में कोविड-19 महामारी पर 'सार्वजनिक जांच समितियां' और 'जन आयोग' आयोजित करने का प्रस्ताव

आज के इस कोविड -19 महामारी के सबसे बुरे दौर को देखे हुए भारत को अभी छ: महीने भी नहीं हुए हैं | फिर भी ऐसा लगता है कि इतने कम समय में अनगिनत लोगों के जान गवाने के प्रश्नों पर चर्चा समाप्त हो चुकी है | सदन के पटल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ भारती परवीन पवार को यह कहते हुए सूना कि राज्यों से ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु का कोई मामला सामने नहीं आया है लिहाजा देश की सबसे बड़ी पंचायत(संसद) में समस्याओं के समाधान पर सरकार की तरफ से चर्चा यहीं समाप्त हो गयी | पिछले महीनों में बड़ी संख्या में आहत हुए लोगों की परेशिनियाँ अभी जारी ही थी कि केंद्र और राज्य सरकारें कोविड केसों की संख्या कम करके दिखाने का प्रयास करने लगीं | पुरे देश में वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण की रफ्तार बेहद धीमी है | पूरा देश आने वाली तीसरी लहर के डर के साये में जी रहा है और करोड़ों लोग आर्थिक और अन्य मुसीबतों से तबाह हो चुके हैं | ऐसा लगता है कि महामारी से पैदा हुए विध्वंश या सरकारी नाकामी की जिम्मेदारी से सरकार पहले ही काफी आगे बढ़ चुकी है | केवल एक सबूत हमें दीखता है कि बड़े-बड़े होर्डिंग में मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और हमारे प्रधान मंत्री ने Covid महामारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से नियंत्रित किया है |

भारत सरकार ने इस Covid महामारी को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हुए कठोर जनविरोधी कानूनों को लागू करने के लिए महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम और अन्य कानूनों का इस्तेमाल किया | इतना नहीं बल्कि इसके आगे बिना तैयारी के पुरे देश को एक कठोर तालाबंदी लॉकडाउन में झोंक दिया जिससे करोड़ों लोगों की आजीविका छीन गयी और वंचित समुदायों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया | इसके साथ ही तालाबंदी और महामारी को एक औज़ार के रूप में इस्तेमाल करते हुए CAA, NRC, छात्रों और किसानों के आन्दोलनों को दबाने के लिए उनके उपर आरोप गढ़े और पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया |

जनवरी 2021 में दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकनोमिक फोरम में प्रधान ने कहा कि “भारत सफलता पूर्वक अनेकों जानें बचा रहा है और पुरी मानवता को एक बड़ी त्रासदी से बचाया है” | वह इस बात की घोषणा भी करते रहे कि “भारत ने न केवल अपनी ही समस्या का समाधान किया है बल्कि दुसरे देशो को भी इस महामारी से निपटने में मदद किया है” | जाहिर तौर पर भारत सरकार महामारी पर जीत की अपरिपक्क घोषणा करती रही जबकि Covid की दूसरी लहर दरवाजे पर दस्तक दे रही थी |

प्रधान मंत्री के दोनों ही Covid राहत पैकेज “गरीब कल्याण योजना” और “प्रोत्साहन पैकेज” में महामारी और तालाबंदी के वास्तविक पीड़ित जैसे प्रवासी मजदूर और दैनिक मजदुर, जो समाज के वंचित (दलित, आदिवासी और अन्य हाशिये पर रहने वाले समुदाय) वर्गों से आते हैं, को छोड़ दिया गया था |

इतना ही नहीं बल्कि जब कोरोना केस की संख्या फिर से बढ़ने लगी थी तब भी सरकार महामारी पर जीत की घोषणा करती रही | इस साल की शुरुआत में, दूसरी लहर ने पहली बार महाराष्ट्र को प्रभावित किया, और कुछ ही दिनों में; यह संक्रमण अन्य राज्यों में जंगल की आग की तरह फैल रहा था, विशेष रूप से राजधानी के शहरों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा था | महामारी शुरू होने के बाद से 13 सितंबर 2021 तक कुल 3,32,64,175 संक्रमण और 4,42,874 कोविड सम्बंधित मौतें दर्ज हुयीं, जैसा कि रॉयटर्स समाचार एजेंसी द्वारा रिपोर्ट किया गया | लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार भारत में मृतकों की दर 6 लाख और संक्रमितों की संख्या 16 लाख बताई गयी | सरकार इन दावों का खंडन करती रही जबकि राज्य दर राज्य महामारी के कारण “अधिक मौतों” की रिपोर्ट होती रहीं |

देश के लोगों को आज एक ऐसे बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिया गया है जहाँ वे इतने मजबूर हैं कि उनके पास कोई संस्था नहीं बची है जो केंद्र सरकार को 'कोविड के खिलाफ युद्ध' के प्रचार में जानबूझकर किये जा रहे झूठे दावों, चिकित्सा प्रोटोकॉल में अनिश्चितता, महामारी की दूसरी लहर के प्रति तैयारी में लापरवाही, सही जानकारियों को दबाने, निजी अस्पतालों को व्यापक लूट करने की छूट और पूरी स्थिति के कुप्रबंधन के लिए जवाबदेह ठहरा सके |

त्रासदी के इस मोड़ पर यह जरूरी है कि हम आंकड़ों में सिमित होकर इसके गहरे दर्द और राज को हमेशा के लिए भुला ना जाएँ | हम जानते हैं कि अनगिनत लोग ऐसे भी हैं जिनको गिने जाने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ न ही सम्मानजनक अंतिम संस्कार मिला | अब समय आ गया है कि हम पूछें कि श्मशान घाटों पर जलती अनगिनत चिताओं की लपटों और गंगा नदी में बहती लाशों के लिए कौन जिम्मेदार था ? अस्पतालों के सामने एम्बुलेंस की लंबी लाइनों और ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोगों के लिए कौन जिम्मेदार था ? नदी के किनारे अनजान कब्रों के लिए कौन जिम्मेदार था ? अनाथ होते बच्चों के लिए कौन जिम्मेदार है ? लाखों लोगों को गरीबी में धकेल कर दिवालिया बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है ? हमें केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि गर्व से '**थैंक यू प्राइम मिनिस्टर**' होर्डिंग लगाते समय हम 60 दिनों (आधिकारिक आंकड़े) में 4 लाख लोगों की मौत को कहीं भुला न दें |

यह अंतिम समय है जब हमें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए सरकार और वे सबंधित संस्थान जो मानवता के खिलाफ इस अपराध के लिए जिम्मेदार हैं उनको जवाबदेह ठहराएँ | समय की मांग है कि हम में से प्रत्येक एक दर्दनाक इतिहास के साक्षी के रूप में अपने दर्द, क्रोध और पीड़ा को, एक ऐसी प्रक्रिया में परिवर्तित करें जो यह सुनिश्चित करे कि ऐसा इतिहास में कभी दोहराया न जाए – सत्ता में शीर्ष पर बैठे सभी लोगों के सामने एक आवाज में कहना है, **हम न्याय के हकदार हैं** !

इस दिशा में 1 अगस्त 2021 को आयोजित अखिल भारतीय बैठक ने भारत में COVID-19 महामारी पर 'सार्वजनिक जांच समितियों' और 'सत्य, जवाबदेही और न्याय आयोग (पीपुल्स कमीशन)' का प्रस्ताव दिया | यह प्रस्ताव एक अन्य रिपोर्ट लांच करने की घटना नहीं बल्कि इसका मुख्य सिद्धांत PIC बनाने की प्रक्रिया में निहित है जिसका उद्देश्य लोगों के द्वारा जांच और उनके प्रश्न के अधिकार को सशक्त बनाना और राज्य एवं निजी क्षेत्र की जवाबदेही की एक सार्वजनिक प्रक्रिया शुरू करना है।

सरकार को जवाबदेह ठहराएँ | सामूहिक और सार्वजनिक रूप से सत्य को हासिल करें |
जीवन और मृत्यु को न्याय दिलाएं |

विचार और प्रस्ताव

लोगों के द्वारा सार्वजनिक जांच और लोगों के आयोग के माध्यम से हम इस बात पर ध्यान देना चाहते हैं कि महामारी के प्रभावों से निपटने के लिए तालाबंदी जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया गया वे क्या हैं | इस प्रक्रिया के दौरान हम सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यापक सामाजिक व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्थाओं पर महामारी और तालाबंदी के प्रभावों को सामूहिक तौर पर देखेंगें | महामारी के दौरान अव्यवस्थित तरीके से बनायीं गयी सरकारी नीतियों जिससे बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन, आजीविका की समाप्ति और अन्य कठिनाइयों पर हम सब जांच-पड़ताल करेगें |

हालांकि महामारी मुख्य रूप से एक स्वास्थ्य संकट थी, लेकिन जिस तरह से इससे निपटा गया, उसने हमारे जीवन के लगभग हर पहलू पर घातक प्रहार किया है | चुकी सरकार द्वारा COVID-19 और लॉकडाउन से वृहद् स्तर पर पैदा हुए संकट से संबंधित मुद्दों की जांच पड़ताल और उनके उपायों पर कार्य करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है

इसलिए लोगों के द्वारा इसके प्रभावों की जांच की आवश्यक है | अत: सरकार को जवाबदेह ठराने की जिम्मेदारी जनता की है | सामूहिक प्रयास की दिशा में हमें विभिन्न दृष्टिकोणों और तौर-तरीकों से जाँच-पड़ताल को सफल बनाने की जरूरत है | अत: यह प्रस्तावित किया जाता है कि जन जांच समितियां जमीनी स्तर पर महामारी से पड़ने वाले सभी तरह के प्रभावों की जाँच-पड़ताल में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होगी और जन आयोग इस जांच-पड़ताल के प्रति महामारी से निपटने के लिए राज्यों के उपायों, जवाबों और अन्य व्यापक मुद्दों को उठाएगी |

सार्वजानिक जांच समिति:

सार्वजनिक जांच समितियां: इन समितियों की आत्मा लोकतंत्र के मूल सिद्धांत में है “लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए” | ग्राम पंचायत, वार्ड शहर, जिला और क्षेत्रीय स्तर पर देश भर में विभिन्न समितियों को बनाने का प्रस्ताव है | इन समितियों का गठन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आदि क्षेत्रों के लोगों के द्वारा किया जायेगा | समितियां विभिन्न स्तरों पर शिकायतों को एकत्रित और संकलित करके उनकी जाँच-पड़ताल करेगीं और उनके पीछे छुपे राज को उजागर करेगीं | समिति उन लोगों की आवाज को बुलंद करेगी जिनको सरकार द्वारा गलत बना दिया गया है या सरकारी व्यवस्था की अनुपस्थिति में वे गलत साबित हो रहे हैं | शिकायतें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा त्रासदी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं, न्यायिक प्रक्रियाओं, कार्यपालिका, मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स, जमाखोरों आदि से सम्बन्धित होगीं | आप में से जो लोग भी संस्थागत कुव्यवस्था के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराने में भरोषा रखते हैं उनसे हम निवेदन करते हैं कि वे सार्वजनिक जांच समिति का हिस्सा बनें |

जन आयोग (PC):

नागरिक समाज समूह और सार्वजानिक जांच समितियां (PIC) संयुक्त रूप से पीपुल्स कमीशन सदस्य या पीपुल्स कमिश्नर(आयुक्त) को नियुक्त करेगीं | प्रत्येक राज्य में आयुक्तों के पास विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व होगा जिसमें डॉक्टर, न्यायविद, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और अन्य संबंधित नागरिक शामिल होंगे | जन आयोग विभिन्न विषयों पर रिसर्च टीमों को तथ्यों एवं आंकड़ों के संकलन के अलावा PIC की सहायता और मार्गदर्शन करने का भी कार्य करेगा | कमिश्नर भी अपने-अपने राज्यों में विभिन्न जन सुनवाई कार्यक्रमों का हिस्सा होगें |

आइए हम एक साथ खड़े हों
सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए
सच की जाँच करने और पर्दाफाश करने के लिए
मृत और जीवित लोगों को न्याय दिलाने के लिए

हम लोगों से अपील करते हैं वे निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं

- लोगों के वे समूह जो कोविड संकट के समय स्वेच्छा से जनसेवा कार्य कर रहे थे उनसे निवेदन है कि अपने नेटवर्क के लोगों को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करें |

- यदि आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो महामारी के किसी भी चरण में हेल्पलाइन या किसी अन्य माध्यम जैसे सर्वे आदि से लोगों के बीच एक सेतु का कार्य कर रहे थे उन्हें जोड़ने में उनका विवरण उपलब्ध कराएँ और उन्हें इस कार्य से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें |
- राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय नेटवर्क / समूह / संगठन की भूमिका में अपने सहभागी सदयों को अपने-अपने क्षेत्र में नेत्रित्व लेने और सार्वजनिक जांच समितियों के निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करें |
- यदि आप एक रिसर्च संगठन या शिक्षाविद या पत्रकार हैं, तो रिसर्च और समझ निर्माण के विषय में अपना योगदान दें |
- यदि आप एक छात्र या शोधकर्ता हैं तो कृपया अपनी स्वैक्षिक सेवाएं देकर इन समितियों और आयोगों को मजबूत बनाने में सहयोग करें |

ऑल इंडिया वर्किंग ग्रुप
COVID-19 . पर सार्वजनिक जांच समितियाँ / जन आयोग
Email: People’s Commission: peoplescommission2021@gmail.com
Public Inquiry Committee: publicinquirycommittee2021@gmail.com